२५ 06/२४

वकील वादी उपस्थित नहीं। वादी स्वयं भी उपस्थित नहीं। इनकी अनुपस्थिति बाबत कोई कारण भी पेश नहीं हुआ। बार-बार आवाज लगवाई गई। अतः यह वादपत्र अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज किया जाता है।

पत्रावली नियम में शुमार की जाकर नम्बर से कम हो तथा तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।